46

कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक I/निग./टीकमगढ/भू.रा./2018/1959

रूप सिंह यादव पुत्र छुट्टा यादव
निवासी– ग्राम धनेरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

— आवेदक

श्री पी. के. तिवारी I.A.S.
द्वारा आज दि. 22-3-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 5-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 22.3.'18

बनाम

1. श्यामबाई पत्नी दुलैया यादव,
निवासी ग्राम धनेरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला टीकमगढ (म.प्र.)

22-3-18

— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2018 द्वारा पारित न्यायालय आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 307/बी–121/2016–17 से परिवेदित होकर।

माननीय महोदय,

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति........
पृष्ठ क्र.......से.......
दिनांक 22/3/18
हस्ताक्षर व नाम.......

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धनेरा, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ में स्थित सर्वे क्रमांक 648/2, 648/3, रकवा क्रमशः 2.395 व 1.107 हैक्टेयर ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1959

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक क्र. 1 को दी गई थी जिसके आधार पर उसका नाम विधिवत रूप से वर्ष 1980-81 से लगातार चला आ रहा है। अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार ने नामांतरण निरस्त किया है, उस आदेश में न तो अनावेदक क्र. 1 के खसरा नं. है और ना ही उसका नाम है। उक्त आधारों पर अधीनसथ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	